



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1000]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 5, 2014/वैशाख 15, 1936

No. 1000]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 5, 2014/VAISAKHA 15, 1936

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

शुद्धि-पत्र आदेश

नई दिल्ली, 5 मई, 2014

का.आ. 1208(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के आदेश सं. का.आ. 2872(अ), तारीख 20 सितम्बर, 2013 (ओमिप्राजोल + डोमपेरिडोन कैपसूल, 20 मिग्रा. + 10 मिग्रा./कैपसूल के खुदरा मूल्य निर्धारण से सम्बन्धित) मैसर्स गुजरात टरस लेबोरेट्रीज लिमिटेड निर्मित और विपणन, भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अंग्रेजी रूपांतरण में सारणी के खुदरा मूल्य कॉलम संख्या 5 की प्रविष्टि 1 को निम्न प्रकार पढ़ा जायें :

के स्थान पर

4.32

पढ़ा जाए

4.00

[कां. सं./139/7/2013/वि/फा. सं. 8(7)/2013/डीपी/एनपीपीए.-डिवी-II]

मनीष गोस्वामी, उप-निदेशक

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Pharmaceuticals)

(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY)

CORRIGENDUM ORDER

New Delhi, the 5th May, 2014

S. O. 1208(E).— The National Pharmaceutical Pricing Authority's Order No. S.O. 2872(E), dated the 20th September, 2013 (relating to the retail price fixation of Omeprazole + Domperidone Capsule, 20 mg + 10mg/capsule), manufactured and marketed by M/s Gujarat Terce Lab. Ltd., Published in the Gazette of India, 1879 GI/2014

Extraordinary, of the Entry at Sl. No. 1 in the Retail Price column No. (5) of the table, both in Hindi & English version be read as follows :

Instead of

4.32

Read as

4.00

[PN/139/7/2013/F/F. No. 8(7)/2013/D.P. NPPA-Div. II]

MANISH GOSWAMI, Director